

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिशनोई, आर०ए०एस०
राजस्व वादपत्र संख्या : 58/2020
GCMS NO. : 2020/00159

वादीगण:-

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. इंगा पुत्र स्व. सुवटा
2. आपूदेवी बेवा सुवटा
जातियान- भाम्बी, निवासीगण-
ग्राम- भीवगढ़, तह-जैतारण
जिला-पाली।
1. रामा पुत्र मेन्दू
2. हेमा पुत्र मेन्दू
3. मेता पुत्र भैरा उर्फ भैरु पुत्र मेन्दू
4. नैना पुत्र भैरा उर्फ भैरु पुत्र मेन्दू
5. बिदामी पत्नी भैरा उर्फ भैरु पुत्र मेन्दू
6. घीसा पुत्र बन्ना
7. साबू पुत्र देवी पुत्र रूपा
8. मुकेश पुत्र देवी पुत्र रूपा
9. सोवनी पत्नी देवी पुत्र रूपा
10. दरियाव पुत्र रूपा
11. मकबूल पुत्र रूपा
12. भंवरु पुत्र रूपा
13. प्रेमसिंह पुत्र धुकल पुत्र कालू
14. शक्तिसिंह पुत्र धुकल पुत्र कालू
15. आपूदेवी पत्नि धुकल पुत्र कालू
16. अंजली अवयस्क पुत्री पिन्दूसिंह
17. नैनसिंह अवयस्क पुत्र पिन्दूसिंह
18. खुशवीर अवयस्क पुत्र पिन्दूसिंह
19. युवराज अवयस्क पुत्र पिन्दूसिंह
प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया
माता प्रतिवादीया अनिता वयस्क
बेवा पिन्दूसिंह
20. अनिता बेवा पिन्दूसिंह
21. लक्ष्मी पुत्री धुकल पुत्र कालू
22. सुमित्रा पुत्री धुकल पुत्र कालू
23. विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
24. मोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
25. शंकरसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
26. रूकमा पत्नी सुल्तानसिंह
27. जयसिंह पुत्र दल्ला पुत्र कालू
28. इन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
29. सुरेन्द्रसिंह पुत्र दल्ला
30. बसंती पुत्री दल्ला
31. मीरादेवी पत्नी दल्ला
32. मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड (रास
प्रोटेक्ट) मार्फत श्री महावीर चौपड़ा
उपमहाप्रबंधक (कार्मिक एवं
प्रशासन), बांगड़ नगर, अंधरी देवरी
तहसील- मसूदा जिला अजमेर।
33. हरि अवयस्क पुत्र सुबान पुत्र लादू
34. अजीत अवयस्क पुत्र सुबान
35. सिकन्दर अवयस्क पुत्र सुबान
36. मुमताज अवयस्क पुत्री सुबान
37. शीता अवयस्क पुत्री सुबान



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

38. मंजू अवस्थक पुत्री सुबान
39. हमीदा बेवा सुबान पुत्र लादू जाति मेहरात निवासी ग्राम भीवंगढ़ तहसील जैतारण, जिला- पाली।
40. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी निवासी मोहननगर, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
41. चम्पालाल पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बाइसा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली(राज0)
42. हेमा पुत्र मूला
43. प्रभु पुत्र मूला
44. नारायण पुत्र सवाई
45. मतुदेवी पुत्री आसूराम
46. नैनी पत्नी मिसरु
47. राजूराम पुत्र मिसरु
48. गणपत पुत्र मिसरु
49. पारस पुत्र मिसरु
50. मंजू पुत्री मिसरु
51. सुरेश पुत्र शंकर जाति भांबी समस्त निवासीगण ग्राम भीवंगढ़ तहसील जैतारण जिला- पाली।
52. कविन्द्रसिंह पुत्र रतनलाल जाति कोली निवासी 8ए, श्रीकृष्ण कॉलोनी, गणेशपुरा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर।
53. मदन पुत्र भंवरिया
54. काना पुत्र भंवरिया
55. सोवनी बेवा भंवरिया
56. इन्दू पुत्री भंवरिया
57. सम्पति पुत्री भंवरिया
58. भंवरु पुत्र मंगला
59. लक्ष्मण पुत्र ऊंकार
60. घासी पुत्र ऊंकार
61. मुकेश पुत्र ऊंकार
62. प्रकाश पुत्र पाबूराम जातियान भांबी निवासीगण- भीवंगढ़, तहसील जैतारण जिला पाली।
63. बनवारीलाल पुत्र रतनलाल जाति नायक निवासी कोहिनूर मार्बल के पीछ, गणेश कॉलोनी, देलवाड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजेमर(राज0)
64. माणकचन्द पुत्र पोकटराम जाति मेघवाल निवास प्लॉट नम्बर 84 श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर जिला जिला अजमेर (राज0)
65. देवा पुत्र पीरु
66. पूनिया पुत्र पीरु
67. ढगलाई बेवा नैना
68. इन्द्रादेवी पुत्री नैना
69. प्रेमलता पुत्री नैना
70. दुर्गा पुत्री नैना
71. सुख पुत्र भंवरु

72. बलवीर पुत्र भंवरु
73. बसंती पुत्री भंवरु
74. लक्ष्मी पुत्र भंवरु
75. विमला पुत्री भंवरु
76. सुखीदेवी पुत्र भंवरु
77. पतारसी देवी पत्नि बाबूलाल
78. धीरज पुत्र बाबूलाल
79. हरीश पुत्र बाबूलाल
80. संतोष पुत्री बाबूलाल
81. सुनीता पुत्री बाबूलाल
82. महावीर प्रसाद पुत्र गौरशंकर जाति कोली निवासी मकान नम्बर 1615/30, शिव कॉलोनी, नगरा, अजमेर जिला अजमेर राज.।
83. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल जाति रेगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर राज0।
84. भोजा पुत्र हेमा निवासी ग्राम भीवगढ़, तहसील जैतारण जिला पाली0।
85. डालचन्द पुत्र छीतरमल जाति भाम्बी निवासी 2/28, गढ़ी थोरियान, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर जिला अजमेर राज0।
86. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार जैतारण (राज0)
87. उपपंजीयक तहसील जैतारण (राज0)
88. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (घ) व (ङ) सी.पी.सी.


तारीख रजू 14/08/2020

- प्रस्थित:-
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
 2. श्री शाकिर हुसैन, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 23/12/2020

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 53 से 57 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (घ) व (ङ) सी.पी.सी. विरुद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 19-11 बीघा जो सरहद मौजा भीवगढ़ में स्थित है उक्त आराजी के वादीगण खातेदार काश्त नहीं है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी का बैचान कर दिया। जिसका म्यूटेशन संख्या-1587 दिनांक 29.10.2018 को स्वीकृत हो। जिससमे वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तथा वादीगण ने वाद के साथ राजस्व जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है एवं वादीगण ने वाद पत्र के डुप्लीकेट वाद पत्र की प्रति भी पेश नहीं है। इसलिए उक्त वाद विधि विरुद्ध है, जो खारिज योग्य है। वादपत्र में घोषणा का कोई तथ्य नहीं लिखा, न ही घोषणा का किसी प्रकार का अनुतोष मांगा है। इसलिए भी उक्त वाद खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।



 सहायक कलेक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 जैतारण (पाली)

अप्रार्थीगण/वादीगण 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि प्रतिवादीगण से 57 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (घ) व (ड) सीपीसी का पेश कि ग्राम- भीवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय में विद्यमान भूमि खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण का भी हिस्सा चला आ रहा है, जबकि जवाब पत्र के पैरा संख्या 1 में प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अन्यत्र बेचान करना बतलाया गया है, जो कि गलत है। प्रतिवादीगण 53 से 57 द्वारा वादपत्र की द्वितीय प्रति का संलग्न होना नहीं बताया गया जो कि गलत है। प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद 53, 188 आर. टी. एक्ट में खसरा नम्बर 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा की सत्यापित जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं करने की बात कही गई है, जिसके क्रम में निवेदन है कि वक्त आने पर साक्ष्य के रूप में हल्का पटवारी द्वारा जारी की गई सत्यापित नकल प्रस्तुत की जायेगी। राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर साहब कि यहां प्रस्तुत वाद 27/28 अनवान माणकचन्द बनाम नारायण में के पैरा संख्या 13 में वर्णित सजरा अनुसार स्पष्ट कथन किये गये है कि खसरा संख्या 1911 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा चला आ रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि वाद पत्र में प्रतिवादीगण 53 से 57 द्वारा प्रस्तुत जवाब के रूप में गलत कथन किये जाकर वाद पत्र खारिज करने की बात नहीं गई है, जो कि गलत है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र, वादी का वाद-पत्र एवं वादग्रस्त आरजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम- भीवगढ़ के खसरा संख्या 1911 रकबा 19.12 हेक्टेयर आराजी के बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् दावा प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 53 से 57 का कथन है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(i) में यह बाध्यकारी विधिक प्रावधान है कि धारा 53 के अंतर्गत वादपत्र केवल सहखातेदार द्वारा ही पेश कर सकता है। साथ ही वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् अनुतोष का भी कोई कथन वाद-पत्र में नहीं किया है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं होने से वादीगण का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(i) से वर्णित होना से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए वादपत्र अस्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

---: आदेश ---

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 53 से 57 अंतर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) व (ड) का प्रवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होने से एवं सारवान होने तथा वादीगण का वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)(i) से वर्जित होने से स्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पिपली पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/12/2020 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पिपली पाली)